सं0 तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी,राजमहल।
पी0ए0 वाद सं0– 18/2018–19
आवेदक– चरण सोरेन
बनाम
16 आना रैयत, मौजा– छोटा महगामा
आदेश

19.7.19

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 11.10.2018 को आवेदन दाखिल कर आवेदक को मौजा छोटा महगामा के प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु अनुरोध किया गया है। अंचल अधिकारी, पतना से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी एवं 16 आना रैयतों से अनापत्ति आमंत्रित हेतु को विधिवत नोटिस निर्गत किया गया।

नोटिस तामिला प्राप्त। आवेदक ने आवेदन दाखिल कर कहा है कि मौजा छोटा महगामा के बहाल प्रधान छक्कू सोरेन है। जिनकी तबियत लगभग एक वर्ष से काफी खराब रहने के कारण प्रधानी कार्य करने में सक्षम नहीं है। जिसके कारण बहाल प्रधान छक्कू सोरेन अपने ज्येष्ठ पुत्र चरण सोरेन को मौजा छोटा महगामा के प्रधान पर नियुक्त करने का सहमति प्रदान किये है। अतएव आवेदक को मौजा छोटा महगामा के प्रधान पद पर बहाल करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, पतना के पत्रांक 363/रा0, दिनांक 25.07.2019 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। अंचल अधिकारी, पतना ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये हैं कि मौजा छोटा महगामा के खतियानी रैयत छक्कू सोरेन प्रधान, पिता–सिंगराय सोरेन के नाम से खतियान में दर्ज है। आवेदक चरण सोरेन, पिता–छक्कू सोरेन खतियानी रैयत का परपोता है। जो बहाल प्रधान छक्कू सोरेन का पुत्र है। मौजा के बहाल प्रधान छक्कू सोरेन की तबियत काफी खराब रहने के कारण एक वर्ष से प्रधानी कार्य में सक्षम नहीं है। जिस कारण मौजा के बहाल प्रधान के स्थान पर आवेदक चरण सोरेन ने प्रधान बहाली हेतु आवेदन दिया है। जिस संबंध

Scanned with CamScanner

में दिनांक 20.07.2019 को ग्राम सभा किया गया और ग्राम सभा के माध्यम से आवेदक को मौजा छोटा महगामा के प्रधान पद पर बहाली हेतु प्रस्ताव दिये हैं। अतएव अंचल अधिकारी, पतना द्वारा आवेदक चरण सोरेन को प्रधान बहाल करने की अनुशंसा किये है।

अतएव अंचल अधिकारी, पतना के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों की आपत्ति के अभाव तथा ग्रामीणों के सहमति से आवेदक चरण सोरेन को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, पतना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

ज्ञापांक 374/रा०
दिनांक 8-8-19

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

अभिलेख आज उपस्थापित। नियमानुकूल प्रधान के द्वारा कबुलियत दाखिल किया गया है। पट्टा निर्गत करें।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

चरण सोरेन